प्रेस विज्ञप्ति

13.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें धन शोधन मामले में पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे के 37.50 करोड़ रुपये की विदेश में स्थित संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें विनोद खुटे के दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने आम लोगों को धोखा देने और उच्च रिटर्न देने के बहाने पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में आम लोगों को लुभाने के लिए एक आपराधिक षड़यंत्र करके कई फर्जी/नकली फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने के आरोप में विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बडाधे और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की। ।

ईडी की जाँच से पता चला कि विनोद खुटे, जो वर्तमान में दुबई में रह रहा है, दुबई स्थित फर्म मेसर्स काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से हो रहे विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं, विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है। विनोद खुटे ने अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मेसर्स वीआईपीएसवॉलेट प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स वीआईपीएसट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स वीटीएफपीएल), मेसर्स काना कैपिटल्स लिमिटेड, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (जीएबी), वीआईपीएस सिक्योरिटीज, और वीआईपीएस प्रॉपर्टीज सहित अन्य कंपनियों से साथ ही कई कंपनियों की स्थापना की। इसके अलावा, लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए निवेशकों से धन एकत्र किया गया और शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक जाँच से बचने और धन शोधन की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धनराशि स्थानांतरित की गई। अब तक की गई जाँच के अनुसार निर्धारित 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दैनिक मामलों को निपटाने, दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्ति प्राप्त करने आदि के लिए किया है।

इससे पहले, ईडी ने पुणे, अहमदाबाद, मुंबई स्थित विभिन्न स्थानों पर विनोद खुटे से संबंधित तलाशी अभियान चलाया था और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक बैलेंस और नकदी के रूप में 23 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज़ किया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।